न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर

पीठासीन अधिकारी देवेन्द्र सिंह चौहान आर0ए0एस0

मुकदमा नं0 102/2022 एवं 2022/30

रामचन्द्र पुत्र गुल्ला जाति कुम्हार (प्रजापति) कुमावत निवासी ढाणी नागान तहसील जोबनेर जिला जयपुर राज0 –वादी

बनाम

1. अमरचन्द पुत्र हनुमान
2. उदाराम पुत्र गुल्ला
3. चौथमल पुत्र हनुमान
4. दुलीचन्द पुत्र गुल्ला

4/1– दुर्गादेवी पत्नि स्व0दुलीचन्द

4/2– मूलचन्द पुत्र स्व0 दुलीचन्द

समस्त जाति कुमावत नि0 ढाणी नागान, जोबनेर जिला जयपुर

4/3– सुगना पुत्री स्व0 दुलीचन्द पत्नि कृष्णगोपाल निवासी बाग की ढाणी, पचार रोड, कि0 रेनवाल जिला जयपुर राज0

5. पन्नालाल पुत्र हनुमान
6. बद्री पुत्र गुल्ला– फौत

6/1– छोटीदेवी पत्नि बद्री

6/2– आनन्दीलाल पुत्र बद्री

6/3– गोविन्द पुत्र बद्री

6/4– श्रवण पुत्र बद्री

समस्त जाति कुमावत नि0 ढाणी नागान तहसील जोनवरे

6/5 संतोष पुत्री बद्री पत्नि भगवानसहाय जाति कुमावत नि0 खेडी आकोदा तह0 फुलेरा जिला जयपुर

6/6 राधादेवी पुत्री बद्री पत्नि इन्द्रसहाय कुमावत नि0 खेडी आकोदा तह0 फुलेरा

6/7 रूकमादेवी पुत्री बद्री पत्नि भागचन्द जाति कुमावत नि0 खेडी आकोदा तह0 फुलेरा

6/8 चन्द्रादेवी पुत्री बद्री पत्नि सुभाष जाति कुमावत नि0 जयरामपुरा तह0 कालवाड

6/9 पार्वती देवी पुत्री बद्री पत्नि सुनील जाति कुमावत नि0 जयरामपुरा तह0 कालवाड

7. भींवाराम पुत्र भंवरलाल
8. लादूराम पुत्र गुल्ला

जाति कुम्हार नि0 ढाणी नागान तह0 जोबनेर जिला जयपुर

9. संज्या देवी पुत्री भंवरलाल पत्नि श्रवणलाल जाति कुम्हार नि0 पृथ्वीपुरा तह0 फुलेरा
10. तहसीलदार तहसील जोबनेर जिला जयपुर ग्रामीण

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

11. राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा जोबनेर जरिये प्रबन्धक

—प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर0टी0 एक्ट

उपस्थित :— 1. श्री लोकेश शर्मा वकील वादी

2. श्री चन्दन सिंह वकील प्रतिवादी

दिनांक :— 02 / 05 / 2025

निर्णय

वादी द्वारा यह दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर0टी0 एक्ट विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 594 / 0.01, 595 / 8.51, 614 / 0.02 हैक्टर वांके ग्राम ढाणी नागान तहसील जोबनेर में स्थित है। आराजी पक्षकारान के सम्मलित खातेदारी की आराजी है। आराजी को पक्षकारान में आपसी सहमति से करीब 40 वर्ष पूर्व वांट रखा है। एवं उसी प्रकार मौके पर काबिज है। आराजी का सम्मलित खाता होने की वजह से काश्त करने में परेशानी रहती है तथा काश्त के समय आपस में तनाजा बना रहता है तथा राज लगान अदा करने में भी परेशानी रहती है। वादी ने प्रतिवादीगण से आराजी का विधिवत विभाजन कराने को कहा तो दिनांक 10 / 05 / 2022 को प्रतिवादीगण ने विभाजन करने से साफ इन्कार कर दिया। विधि वजह वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण आराजी मुत0 का विभाजन मौके के कब्जे अनुसार करा पाने का अधिकारी है। अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर मौके के कब्जे अनुसार विभाजन करने की डिक्री फरमायी जावें।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 4, 7 लगायत 9 एवं 11 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध दिनांक 23.06.2022 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 एवं 5 तथा 6 मय वकील के न्यायालय में उपस्थित आये। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 एवं 5 तथा 6 ने जवाब इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा संख्या 595 में से हाईवे निकल चुका है। इस कारण रोड में गयी हुई आराजी का विवरण दर्ज नहीं किया गया है। आराजी पर सभी खातेदार अपने हिस्से अनुसार काबिज है। प्रतिवादीगण द्वारा बेचान करने की कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। हाईवे में गयी भूमि का वादी एवं प्रतिवादीगण ने हिस्से अनुसार मुआवजा प्राप्त कर लिया है। परन्तु जमाबंदी के रकबे में उक्त आराजी को कम नहीं किया गया है। सार्वजनिक निर्माण विभाग को वाद में पक्षकार नहीं बनाया गया है। इसलिए वाद विचारण योग्य नहीं है। अतः जबाव दावा पेश कर निवेदन है कि दावा वादी खारिज फरमाया जावें।

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

दावा एवं जबाब दावा के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की गई।

तनकी संख्या 1 :– आया विवादग्रस्त आराजी वर्णित मद संख्या 1 वाद पत्र के वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 9 की सह खातेदारी की आराजी है, जिसका पक्षकारान ने आपसी सहमति अनुसार मौके पर विभाजन कर रखा है। तथा वादी विवादीत आराजी का मौके कब्जे अनुसार विभाजन करा पाने का अधिकारी है।

........वादी

तनकी संख्या 2 :– आया वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है।

........वादी

तनकी संख्या 3 :– आया विवादग्रस्त आराजी ख0नं0 595 मे से रोड निकल चुकी है। जिसका रकबा कम नहीं किया गया है एवं वाद में सार्वजनिक निर्माण विभाग को पक्षकार नहीं बनाने से वाद चलने योग्य नहीं है।

........प्रतिवादी

तनकी संख्या 4 :– आया विवादीत आराजी मे से रोड निकलने के पश्चात सभी पक्षकारान अपने अपने हिस्से अनुसार रोड फ्रन्ट पर काबिज है।

......प्रतिवादी

दावा में उपरोक्त तनकीयात कायम की जाकर पत्रावली साक्ष्य वादी में नियत की गई। साक्ष्य वादी में पी0डब्लू0 1 रामचन्द्र, पी0डब्लू0 2 हीरालाल के शपथ पत्र पेश किये। अन्य साक्ष्य पेश न होने पर साक्ष्य वादी बन्द किये गये। साक्ष्य प्रतिवादीगण में डी0डब्लू0 1 गोविन्दराम नागा, डी0डब्लू0 2 गोविन्दराम कुमावत के शपथ पत्र पेश किये गये। अन्य साक्ष्य पेश न होने पर साक्ष्य प्रतिवादीगण बन्द किये गये।

वादी ने अपने दावा के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श 1 नकल जमाबन्दी सम्वत 2073–76, प्रदर्श 2 भूमि अवाप्ति आदेश दिनांक 06.02.2014, प्रदर्श 3 भूमि अवाप्ति पर्चा खतोनी तथा प्रदर्श 4 नक्शा एकीकरण पेश किया है।

बहस वकील फरीकेन सुनी गयी। दौराने बहस वकील वादी ने अपने दावे में दर्ज तथ्यों को तथा वकील प्रतिवादीगण ने अपने जवाब में दर्ज तथ्यों को ही पुनः दोहराया है।

हमने बहस वकील फरीकेन पर मनन किया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। तनकीबार विवेचन निम्नानुसार है।

तनकी संख्या 1 :– आया विवादग्रस्त आराजी वर्णित मद संख्या 1 वाद पत्र के वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 9 की सह खातेदारी की आराजी है, जिसका पक्षकारान ने आपसी सहमति अनुसार मौके पर विभाजन कर रखा है। तथा वादी विवादीत आराजी का मौके कब्जे अनुसार विभाजन करा पाने का अधिकारी है।

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

तनकी संख्या 2 :– आया वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है।

उक्त तनकिया समान प्रकृति की है। इसलिए इनका निर्णय एक साथ किया जा रहा है। उक्त तनकियों को सिद्ध करने का भार वादी पर था। मुताबिक राजस्व रिकार्ड प्रदर्श 1 नकल जमाबन्दी सम्वत 2073–76 आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के अन्तर्गत सह खातेदारों को मुताबिक हिस्सा विभाजन करा पाने का अधिकार है।

आराजी का विभाजन पूर्व में हो चुका है। वादी का साक्ष्य पी.डब्ल्यू. 01 ने जिरह में यह कहा है कि "विवादीत आराजी में एक फसल होती है। मौके पर सींव के अनुसार भूमि बांट रखी है। मेरे हिस्से की जमीन के पश्चित की तरफ उदाराम के हिस्से की जमीन पडती है। हमारे खेत के बीच में से रोड उत्तर–दक्षिण दिशा में निकली है। रोड के फ्रन्ट पर मेरा, उदाराम का, लादूराम का, भींवाराम का, भींवाराम की बहन का भी हिस्सा आता है।" जिससे यह स्पष्ट होता है कि आराजी का विभाजन पूर्व में ही हो चुका है। इस बात की पुष्टि प्रतिवादीगण के साक्ष्य डी.डब्ल्यू. 01 की जिरह से भी होती है। प्रतिवादीगण का साक्ष्य डी. डब्ल्यू. 01 ने जिरह में यह कहा है कि "मेरे दादाजी का नाम गुल्लाराम है। जिनके सात लडके है। जिनमे से एक गोद चला गया था। सभी छः पुत्र गुल्ला राम के जीवन में ही अलग हो गये थे। मेरे पिताजी को बंटवारे में कोई जमीन नहीं दी थी। हनुमान एवं बद्री के अतिरिक्त अन्य भाईयों ने विवादीत आराजी को मौके पर बांट रखा है।"

इसके अतिरिक्त इस बात की पुष्टि प्रतिवादीगण के साक्ष्य डी.डब्ल्यू. 02 की जिरह से भी होती है। प्रतिवादीगण का साक्ष्य डी.डब्ल्यू. 02 ने जिरह में यह कहा है कि "विवादीत आराजी की खातेदारी बद्री, हनुमान, लादू, रामचन्द्र, दुलीचन्द एवं उदाराम के नाम है। सभी अलग–अलग रह रहे है। विवादग्रस्त आराजी को सभी खातेदारों ने अलग–अलग बांट रखी है। मैं विवादीत आराजी का दक्षिण दिशा का पडौसी खातेदार हूं।" यहां यह तथ्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि डी.डब्ल्यू. 02 एक स्वतंत्र गवाह एवं पडौसी खातेदार है। जिसने बंटवारा होने की पुष्टि की है।

अतः उक्त तनकियों को निर्विवाद रूप से वादी प्रमाणित करने में सफल रहा है। अतः उक्त तनकीयां वहक वादी निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 3 :– आया विवादग्रस्त आराजी ख0नं0 595 मे से रोड निकल चुकी है। जिसका रकवा कम नहीं किया गया है एवं वाद में सार्वजनिक निर्माण विभाग को पक्षकार नहीं वनाने से वाद चलने योग्य नहीं है।

तनकी संख्या 4 :– आया विवादीत आराजी मे से रोड निकलने के पश्चात सभी पक्षकारान अपने अपने हिस्से अनुसार रोड फ्रन्ट पर काबिज है।

उक्त तनकिया समान प्रकृति की है। इसलिए इनका निर्णय एक साथ किया जा रहा

उपखण्ड अधिकारी
कोटपूतली, जयपुर

है। उक्त तनकियों को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर था। तनकी संख्या 01 एवं 02 के विवेचन से यह स्पष्ट है कि आराजी का आपसी सहमति से बंटवारा पूर्व मे हो चुका है। अतः वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य मौके कब्जे के अनुसार विभाजन किया जाना उचित है। विवादग्रस्त आराजी ख0नं0 595 मे से रोड निकल चुकी है। जिसका रकबा कम नहीं किया गया है। यह तथ्य पूर्णतः सही है। परन्तु प्रदर्श 2 भूमि अवाप्ति आदेश दिनांक 06.02.2014 तथा प्रदर्श 3 भूमि अवाप्ति पर्चा खतोनी के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि भूमि का मुआवजा सभी खातेदारों द्वारा प्राप्त कर लिया गया है। इस तथ्य के पुष्टि प्रतिवादीगण द्वारा भी की गयी है। प्राथमिक डिक्री में सडक के हिस्से को छोडते हुए ही कुरेजात प्रस्ताव प्राप्त होगें। सार्वजनिक निर्माण विभाग को पक्षकार ना बनाने की त्रुटि के आधार पर दावा निरस्त किये जाने योग्य नहीं है। विवादीत आराजी मे से रोड निकलने के पश्चात सभी पक्षकारान अपने अपने हिस्से अनुसार रोड फ्रन्ट पर काबिज है। इस तथ्य को प्रतिवादीगण को साबित करना था, परन्तु इस संबंध में प्रतिवादीगण द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य अथवा मौका रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गयी है। जिससे यह तथ्य साबित हो सके।

अतः उक्त तनकियों को निर्विवाद रूप से प्रतिवादीगण प्रमाणित करने में असफल रहे है। अतः उक्त तनकीयां विरूद्ध प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

5:—दादरसी । तनकी संख्या 1,2,3 तथा 4 विरूद्ध प्रतिवादीगण निर्णित हो गई है ऐसी स्थिति में दावा वादी मौके कब्जे के आधार पर प्राथमिक डिक्री किये जाने योग्य है।

अतः दावा वादी स्वीकार किया जाकर वाद पत्र में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 594/0.01, 595/8.51, 614/0.02 वाकै ग्राम ढाणी नागान तहसील जोबनेर से दिनांक 21.02.2024 को प्राथमिक डिक्री किया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट जोबनेर, जिला-जयपुर

श्रीमान निबंधक महोदय, माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के पत्रांक टीए/निग/2024/1463/जयपुर(ग्रामीण)12.6.2024 दिनांक 13.03.2024 द्वारा पत्रावली माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा तलब की गयी। श्रीमान निबंधक महोदय, माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के पत्रांक टीए/निग/2024/1463/जयपुर/नि0दि0 18.09.2024 द्वारा पत्रावली पुनः इस आदेश के साथ प्राप्त हुई कि निगरानी सारहीन होने से इसी स्तर पर खारिज की जाती है।

माननीय राजस्व मण्डल अजमेर से पत्रावली प्राप्त होने पर पुनः नंबर पर ली गयी। न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री दिनांक 21.02.2024 की पालना में तहसीलदार जोबनेर के पत्रांक भू.अ./कुर्रेजात/2024/1988 दिनांक 06.05.2024 द्वारा कुरेजात प्राप्त। प्रतिवादी संख्या 3, 5, 6/3 की ओर अधिवक्ता श्री चन्दन सिंह द्वारा वकालतनामा पेश किया गया। अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 3, 5, 6/3 द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा0दी0 इस आशय का पेश किया गया कि वादी ने तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा का वाद पेश किया है जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री जारी की गई है। इस प्राथमिक ड्रिक्री के

dSC
उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

विरूद्ध प्रतिवादीगण ने राजस्व प्राधिकारी के समक्ष अपील पेश की परन्तु वादीगण ने बार बार पीठासीन अधिकारी के विरूद्ध करीब 3 अन्तरण प्रार्थना पत्र पेश किये जिससे प्रकरण की सुनवायी नही हो सकी। अन्तरण के प्रार्थना पत्र माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा खारिज किये जा चुके है अब अन्तरण प्रार्थना पत्र खारिज होने से प्रकरण सुनवायी के स्तर पर है। तहसीलदार जोबनेर महोदय ने पक्षकारो को नक्शे कुरेजात बनाते समय सुनवायी हेतु न तो नोटिस जारी किया और ना ही मौके पर स्वयं तहसीलदार महोदय ही गये है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि तहसीलदार महोदय जोबनेर से नियम 18–21 की पालना के संबंध में जो नोटिस जारी किये गये उसका रिकार्ड तलब किया जावे जिससे माननीय न्यायालय को अंतिम डिक्री निर्णय पारित करने में सुगमता हो सके।

अधिवक्ता वादी द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत न करे सिधे बहस हेतु निवेदन करने पर बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गयी। अधिवक्ता प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का ही दौहरान किया तथा तहसीलदार जोबनेर से नियम 18–21 की पालना के संबंध में जो नोटिस जारी किये गये उसका रिकार्ड तलब किरने हेतु निवेदन किया। अधिवक्ता अप्रार्थी/वादी द्वारा दौराने बहस निवेदन किया गया कि तहसीलदार जोबनेर द्वारा माननीय न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री की पालना में नियमानुसार कुरेजात तैयार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये है। चुकि तहसीलदार जोबनेर द्वारा कुरेजात दिनांक 06.05.2024 को ही पेश किये जा चुके है, परन्तु प्रतिवादीगण द्वारा पहले उक्त संबंध में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी तथा श्रीमान पीठासीन अधिकारी के विरूद्ध श्रीमान जिला कलक्टर महोदय एवं माननीय राजस्व मण्डल के समक्ष मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किये गये। उक्त मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज हो जाने के पश्चात यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा0दी0 पेश किया गया। जिससे यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी की मंशा प्रकरण में देरी करना। अतः अधिवक्ता प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा0दी0 खारिज फरमाया जावे तथा तहसीलदार जोबनेर द्वारा प्रस्तुत कुरेजात दिनांक 06.05.2024 के अनुसार वादी का वाद अंतिम डिक्री फरमाया जावे।

हमने बहस वकील फरीकेन पर मनन किया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। तहसीलदार, जोबनेर द्वारा प्राप्त कुरेजात का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री दिनांक 21.02.2024 पर किसी अन्य न्यायालय का स्थगन होने अथवा क्रियान्विती स्थगत होने के संबंध में कोई दस्तावेज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गये है। तहसीलदार जोबनेर द्वारा न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री दिनांक 21.02.2024 की पालना में नियमानुसार कुरेजात तैयार कर न्यायायल के समक्ष प्रस्तुत किये गये है। ऐसी स्थिति में अधिवक्ता प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा0दी0 स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर जयपुर

होने से खारिज किया जाता है तथा वादी का वाद तहसीलदार जोबनेर द्वारा दिनांक 06.05.2024 को पेश कुरेजात रिपोर्ट के अनुसार अंतिम डिक्री किया जाता है। तहसीलदार जोबनेर द्वारा प्रस्तुत कुरेजात दिनांक 06.05.2024 निर्णय का भाग रहेंगे।

वाकै ग्राम ढाणी नागान

क.स	नाम खातेदार	खसरा	रकबा	किस्म	
1	रामचन्द्र पुत्र गुल्ला कौम कुमावत सा.देह	B/595	0.5406	बारानी 3	
		E/595	0.10	बारानी 3	
		किता–02	0.6406	बारानी 3	
2	अमरचन्द, चौथमल, पन्नालाल पी. हनुमान हि. 1/12 राहिन RMGB बैंक शाखा जोबनेर मुर्तहीन आनन्दी लाल, गोविन्दराम, श्रवणलाल पी. बद्री हिस्सा 1/12 राहिन BOB शाखा जोबनेर उदाराम, दुलीचन्द, रामचन्द्र, लादूराम पी. गुल्ला हिस्सा 1/3 भींवाराम पुत्र भंवरलाल हिस्सा 1/2 मौका कुमावत सा.देह	C/595	0.8219	गैर मु. बारानी 03 सडक	
		594	0.0126	गै.मु. चाह	
		614	0.0253	गै.मु. चाह	
		किता–03	0.8598		
3	अमरचन्द, चौथमल, पन्नालाल पी. हनुमान हिस्सा 3203/35238 राहिन RMGB बैंक शाखा जोबनेर मुर्तहीन आनन्दीलाल, गोविन्दराम, श्रवणलाल पी. बद्री हिस्सा 3203/35238 राहिन BOB शाखा जोबनेर मुर्तहीन उदाराम दुलीचन्द लादूराम पी. गुल्ला हिस्सा 1602/5873 भींवाराम पुत्र भंवरलाल हिस्सा 9610/17619 कौम कुमावत सा.देह	A/595	2.3686	बारानी 3	
		D/595	4.6790	बारानी 3	
		किता–02	7.0476	बारानी 3	

तहसीलदार जोबनेर को आदेश दिये जाते हैं कि मुताबिक डिक्री कुरेजात दिनांक 06.05.2024 राजस्व रिकार्ड में अमल–दरामद करें, लगान दर अनुसार लगान कायम करें। बैंक रहन संबंधित खातेदार के द्वारा बैंक के पक्ष में रहन रखे गये हिस्से को उसके खसरा नम्बर/रकबा के विरुद्ध दर्ज किया जावे। बैंक का रहन खातेदारों के नाम यथावत रहेगा। पर्चा डिक्री तहरीर जारी की जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगें। तहसीलदार जोबनेर द्वारा प्रस्तुत कुरेजात दिनांक 06.05.2024 निर्णय का भाग रहेंगे।

निर्णय आज दिनांक 02.05.2025 को टंकित कराया जाकर मजमेआम में सुनाया गया।

(देवेन्द्र सिंह भाटी)
उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर